पटना में दिनांक–24 अप्रैल, 2015 शुक्रवार को अपराह्न 03:45 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

वित्त विभाग

1.	बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को 30 मार्च, 2016 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 4827.41 करोड़ रूपये करने के संबंध में।	1. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

2.	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–114 –कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001–कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से ₹1750.00 करोड़ (सतरह अरब पचास करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	2. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

3.	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियत फीस में बढ़ोत्तरी हेतु बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	3. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

4.	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की राशि को ₹1,00,000.00 (एक लाख रूपये) मात्र से बढ़ा कर ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र करने की स्वीकृति के संबंध में।	4. स्वीकृत।

	पंचायती राज विभाग	
5.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच को पूर्व से स्वीकृत यथास्थिति नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं विशेष मानदेय को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (प्रतिमाह) भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।	**5. स्वीकृत।**
	पंचायती राज विभाग	
6.	बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन), सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय के निर्धारण एवं पूर्व में देय मानदेय की राशि में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति के संबंध में।	**6. स्वीकृत।**